


12/03/2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत  
बेंच में पेश हुई। मुगावीक तहसीलदार  
नद्वई की रिपोर्ट शिवराम, शिवदयाल  
के खान पर शिवप्रसाद पुत्र रेशनलाल  
द्वर्ज किये जाना उचित है। अतः शिवराम,  
शिवदयाल के खान पर शिवप्रसाद  
पुत्र रेशनलाल किये जावे। अतः पत्रावली  
इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है।

पत्रावली कुलल शुमार होकर नम्बर  
से कुम की जाकर दाखिल दफ्तर है।

  
सदस्य  
लोक अदालत  
भरतपुर

  
सदस्य  
लोक अदालत  
भरतपुर